



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, बुधवार 22 जून, 2011 / 1 आषाढ़, 1933

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

**FORESTS DEPARTMENT**

NOTIFICATION

*Shimla-2, 31st May, 2011.*

**No. FFE-B-A(11)-1/2006-II.**—In pursuance to the Order dated 20.05.2011 passed by the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh in Cr.M.P. No. 1299/2008 titled as Yoginder Singh Vs State of Himachal Pradesh, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute Task Force (s) in all Forest Divisions of the Forest Department comprising of the following officers :—

9. Divisional Forest Officer
10. Deputy Superintendent of Police in the jurisdiction of the Forest Division
11. Tehsildar(s) or Naib Tehsildar(s) as the case may be

2. In the above Task Force(s), Divisional Forest Officer(s) shall function as convener of the Task Force(s) and meet regularly as per need.

3. The above Task Force(s) shall facilitate the process of registration of F.I.Rs, including putting up of challan(s) against the persons, who have encroached upon more than 10 Bighas of forest land as per order of the Hon'ble High Court passed in the above-mentioned case. F.I.Rs will be lodged on or before 19.06.2011 as per orders of the Hon'ble High Court.

4. The Divisional Forest officer will give a certificate duly countersigned by the Conservator of Forests that there is no encroachment on 10 Bighas of forest land made in the area falling in his jurisdiction.

5. The Task Force (s) shall work directly under the superintendence and control of the Monitoring Committee as constituted by the Hon'ble High Court.

By Order,  
Sd/-  
Addl. Chief Secretary (Forests).

## FORESTS DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, 3rd June, 2011.*

**No. FFE-B-A(11)-1/2006-II.**—In pursuance to the Order dated 20.05.2011 passed by the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh in Cr.M.P. No. 1299/2008 titled as Yoginder Singh Vs State of Himachal Pradesh, Task Force (s) has been constituted in the Department of Forests vide Notification of even number dated 31.05.2011 for the registration of F.I.Rs against the persons who have encroached upon more than 10 Bighas of forest land.

In order to monitor the progress of registration of the cases promptly, investigation and putting up of challan(s), the Hon'ble High Court has also constituted Monitoring Committee, The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute Monitoring Committee comprising of the following officers:—

1. Additional Chief Secretary (Forests)	Chairman
2. Principal Secretary (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh	Member
3. Principal Secretary (Home) to the Government of Himachal Pradesh	Member
4. All Deputy Commissioners	Member
5. All Superintendents of Police posted in the Districts	Member
6. Principal Chief Conservator of Forests	Member
7. Chief Conservator of Forests (S&A)	Member Secretary
8. All Conservator of Forests (T)	Member

The Task Force(s) shall work directly under the superintendence and control of the Monitoring Committee.

By Order,  
Sd/-  
Addl. Chief Secretary (Forests).

ब अदालत श्री नरेश कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,  
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं०. 43/NT/11/ना० तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी

Tenzin Kalsang

बनाम

आम जनता।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Tenzin Kalsang पुत्र श्री through Natural Guardian Mr. Sonam Tsering, निवासी House No. 510, मौजा Tipa Road Mcleodganj धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि Tenzin Kalsang का जन्म दिनांक 12-6-2000 को हुआ है। परन्तु एम० सी०, धर्मशाला में उक्त जन्म पंजीकृत नहीं हुआ है, अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें।

इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त व्यक्ति के जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 25-7-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 9-6-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

नरेश कुमार शर्मा,  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

**In the Court of Shri Naresh Kumar Sharma, Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate,  
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh**

Case No. 49/NT/11

1. Shri Dumnu Ram s/o Shri Ratto *alias* Rattan Chand, r/o Village Khari Bahi, P.O. Kareri, Tehsil Dharamshala.

2. Smt. Ichhya Devi d/o Shri Jagat Ram, r/o Khari Bahi, P.O. Kareri, Tehsil Dharamshala  
. . . Applicants.

*Versus*

1. General Public
2. The Registrar of Marriages

*Subject.*—Registration of marriage under section 8 (4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).

## PUBLIC NOTICE

Whereas the above named applicants have made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 24-11-2010 at Khari Bahi but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages G.P. Ram Nagar.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the court of undersigned on 30-7-2011 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 14th day of June, 2011.

Seal.

NARESH KUMAR SHARMA,  
Naib Tehsildar-cum-Executive Magistrate,  
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.

ब अदालत श्री नरेश कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,  
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं०. 48/NT/11/ना० तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी

Tenzin Namkha

बनाम

आम जनता।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Tenzin Namkha पुत्री श्री Minor through his Natural Guardian Mr. Sonam Tsering, निवासी House No. 510, मौजा Tipa Road Mcleodganj धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि Tenzin Namkha का जन्म दिनांक 6—5—1996 को हुआ है। परन्तु एम० सी०, धर्मशाला में उक्त जन्म पंजीकृत नहीं हुआ है, अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें।

इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त व्यक्ति के जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 30—7—2011 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 14-6-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

नरेश कुमार शर्मा,  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री नरेश कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,  
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं०. 47/NT/11/ना० तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी

Tenzin Yangkyi

बनाम

आम जनता।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Tenzin Yangkyi पुत्री श्री Sonam Tsering, निवासी House No. 510, मौजा Tipa Road Mcleodganj धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि Tenzin Yangkyi का जन्म दिनांक 25-1-1992 को हुआ है। परन्तु एम० सी०, धर्मशाला में उक्त जन्म पंजीकृत नहीं हुआ है, अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें।

इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त व्यक्ति के जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 30-7-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 14-6-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

नरेश कुमार शर्मा,  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री रत्न गौतम, स्पेशल मैरिज अधिकारी (एस० डी० एम०), जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी,  
हिमाचल प्रदेश

श्री नवांकुर सूद पुत्र श्री रमेश चन्द सूद, निवासी सुकाबाग, डा० चौतड़ा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश (पत्नी)।

श्रीमती मेघा सूद पत्नी नवांकुर सूद पुत्र श्री रमेश चन्द सूद, निवासी सुकाबाग, डा० चौतड़ा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश (पत्नी)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15, चैप्टर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री नवांकुर सूद व श्रीमती मेघा सूद ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 18-7-2010 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार शादी कर ली है और तब से वह पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं। अतः जेर धारा 15 चैप्टर-III स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजीकृत किया जावे।

अतः आम जनता व उनके रिश्तेदारों/माता-पिता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-7-2011 को दोपहर 2.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा तथा बाद में कोई भी उजर काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 17-6-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

रत्न गौतम,  
स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0 डी0 एम0),  
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

### अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 22 जून, 2011

**संख्या : एन.ई.एस.-एफ-(2)-2/2011.—** यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि M/s Gujarat Coastal Construction Ltd. 610 Yashkamal Building Station Road Sayajigunj, Baroda, Gujarat-390005 जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (ई) के अन्तर्गत एक निजी कम्पनी है, के द्वारा अपने व्यय पर कम्पनी के प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल रंजणी, पुढन, सरोग, भसुआ, घडेत्रा, बाडी, मैडा तथा ऐहणी तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हि0 प्र0 में सियूल -1 (5मै.वा.) लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव: एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता एवं उप-मण्डलाधिकारी, चुराह जिला चम्बा हि0प्र0 के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

## विवरण

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	रकवा (बीघों में)	
चम्बा	सलूणी	रंजणी	656 / 335 / 1	00-10-00	
			656 / 335 / 2	00-01-00	
			335 / 1 / 1	00-03-00	
			596	00-12-00	
			596 / 1 / 1	00-08-00	
			598 / 1	00-03-00	
		पुढन	11 / 1	00-02-00	
			13 / 1	00-00-06	
			31 / 1	00-04-00	
			149	00-06-00	
		सरोग	195 / 1	00-00-04	
			958 / 300 / 1	00-00-04	
		भसुआ घडेत्रा	786 / 1	00-00-04	
			10 / 1	00-01-00	
			16 / 1	00-03-00	
			117 / 1	00-02-00	
			228 / 1	00-02-00	
			230 / 1	00-02-00	
			179 / 1	00-08-00	
			17 / 1	00-01-00	
			18 / 1	00-12-00	
			116 / 1	00-03-00	
			97 / 1	00-01-00	
			176 / 1	00-12-00	
			229 / 1	00-01-00	
			138	00-15-00	
			144 / 1	00-03-00	
			172 / 1	00-04-00	
			बाडी	51 / 1	00-01-00
				52	00-01-00
				96 / 1	00-02-00
		99 / 1		00-02-00	
		101 / 1		00-01-00	
		97 / 1		00-02-00	
		100 / 1		00-02-00	
		100 / 2		00-01-00	
		98 / 1		00-03-00	
		205 / 1		00-04-00	
		209 / 1		00-05-00	
		212 / 1		00-04-00	
		332 / 1		00-02-00	
		975 / 220 / 1	00-04-00		
		353 / 1	00-02-00		
		355 / 1	00-04-00		
		354 / 1	00-10-00		

	361 / 1	00-05-00
	357 / 1	00-10-00
	976 / 220 / 1	00-04-00
	511 / 1	00-03-00
	560 / 1	00-07-00
	538	00-08-00
	528 / 1	00-06-00
	822 / 1	00-08-00
	827 / 1	00-03-00
	827 / 1 / 1	00-03-00
	826 / 1	00-05-00
	539 / 1	00-01-00
	835 / 1	00-06-00
मैडा	389 / 1	00-00-04
	389 / 2	00-00-04
ऐहणी	145 / 1	00-00-04
	1220 / 798 / 1	00-00-04
	<b>किता 62</b>	<b>कुल रकवा 11-19-14</b>

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित /—  
प्रधान सचिव (एन.ई.एस.) ।

**HIMACHAL PRADESH JUDICIAL ACADEMY**  
Curzon House, Boileauganj, Shimla-5

NOTIFICATION

*Shimla, 3rd January, 2011*

**Subject: Eleven days earned leave w.e.f. 5.1.2011 to 15.1.2011 in favour of Dr. Abira Basu, Deputy Director, H.P. Judicial Academy, Shimla-5.**

**No. HPJA/Estt/1(22)2010-43.**—Eleven days earned leave w.e.f. 5.1.2011 to 15.1.2011 with permission to prefix Sunday failing on 16.1.2011 and winter vacations w.e.f. 17.1.2011 to 30.1.2011, is hereby granted in favour of Dr. Abira Basu, Deputy Director, H.P. Judicial Academy, Shimla-5.

Certified that Dr. Abira Basu, is likely to join the same post at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Dr. Abira Basu, would have continued to hold the post of Deputy Director in the H.P. Judicial Academy, Shimla, but for her proceeding on leave for the above period.

By order ,  
Sd/-  
Director,  
H.P. Judicial Academy, Shimla



**HIMACHAL PRADESH JUDICIAL ACADEMY**  
Curzon House, Boileauganj, Shimla-5

NOTIFICATION

*Shimla, 7th January, 2011*

**Subject: Relieving of Judicial Officers**

**No. HPJA/Trg/Induction-VIII/2010-136.**—Pursant to Hon'ble High Court Registry letter No. HHC/GAZ/14-52/74-VI- 957 dared 7th January , 2011, Shri Sandeep Singh Sihag, Shri Hakikat, Miss Akshi Sharma and Shri Aslam Beg, Civil Judge (Jr. Division) who are under training in the H.P. judicial Academy are relieved from the Academy today i.e. in the afternoon of 7th January, 2011 with the directions to join their duties at the place(s) where they are already posted for the purpose of drawal of their salary i.e. Court of Civil Judge at Chopal, Court No.4, Hamirpur, Court No.8 Shimla, and Court No. 2 Dehra, respectively, on or before 12.1.2011.

By order ,  
Sd/-  
Director,  
*H.P. Judicial Academy, Shimla.*

**HIMACHAL PRADESH JUDICIAL ACADEMY**  
Curzon House, Boileauganj, Shimla-5

NOTIFICATION

*Shimla, 31st May, 2011*

**Subject: Six days earned leave w.e.f. 13.6.2011 to 18.6.2011 in favour of Dr. Abira Basu, Deputy Director, H.P. Judicial Academy, Shimla-5.**

**No. HPJA/Estt/1(22)2010.**—Six days earned leave w.e.f. 13.6.2011 to 18.6.2011 with permission to prefix Second Saturday & Sunday falling on 11.5.2011 and 12.5.2011 respectively and also suffix Sunday falling on 19.6.2011, is hereby granted in favour of Dr. Abira Basu, Deputy Director, H.P. Judicial Academy, Shimla-5.

Certified that Dr. Abira Basu, is likely to join the same post at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Dr. Abira Basu, would have continued to hold the post of Deputy Director of H.P. Judicial Academy, Shimla, but for her proceedings on leave for the above period.

By order,  
Sd/-  
Director,  
*H.P. Judicial Academy, Shimla.*

